क्रम-संख्या—78

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 मार्च, 2001

चैत्र 7, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 763/सत्रह-वि0-1—1 (क)-7-2001

लखनऊ, 28 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 27 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह 15 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1981 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख ख) "नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज" का तात्पर्य नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है;"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :—

"(ख ख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय और नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा;"

(ख) खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायंगे अर्थात् :—

"(ग) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित, या ऐसे किसी अन्य महाविद्यालय में आमेलित, कर दिया जायगा;

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कर दिया जायगा;

(ङ) किसी अनुसूची महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के किसी पद को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जायगा।"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायंगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ख ख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों से भिन्न प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यदि दो या अधिक कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक हो, तो अधिक आयु का कर्मचारी ज्येष्ठ होगा।

(4) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज या उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ख ख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद को समाप्त कर दे, बिना भरे छोड़ दे या आस्थगित रखे और कोई व्यक्ति ऐसे पद पर किसी नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

कतिपय गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का अर्जन और प्रबन्धन तथा होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा के प्रान्तीयकरण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम द्वारा अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नौ होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों को राज्य सरकार को स्थानान्तरित और उसमें निहित किया गया था। नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज पहले से ही राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन था। उक्त नौ चिकित्सा महाविद्यालयों में से कुछ महाविद्यालय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा विहित मानकों को पूरा नहीं करते थे और राज्य सरकार वित्तीय मजबूरियों के कारण ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वह ऐसे महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करके उन्हें केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा विहित मानकों को पूरा करने में समर्थ बना सके। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि मुख्यतः एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों और नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सम्मिलित या समामेलित करने के साथ-साथ छात्रों, अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों और अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के पदों को एक अनुसूचित महाविद्यालय से दूसरे अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को और विपर्ययेन स्थानान्तरित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 763 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-7-2001

Dated Lucknow, March 28, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Chikitsa Mahavidyalaya (Arjan and prakirna Upbandh) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on Marh 27, 2001.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGES (ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 7 of 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

It is hereby enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 15, 2001.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 21 of 1981

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*bb*)"National Homoeopathic Medical College" means the National Homoeopathic Medical College, Lucknow together with the hospital and dispensary attached thereto or used in connection therewith, and includes all lecture rooms, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with or as accessories to, or adjuncts of such college;"

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2) *after* clause (*b*) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*bb*) any of the scheduled colleges and the National Homoeopathic Medical College shall be combined or amalgamated;"

(*b*) *for* clauses (*c*) and (*d*) the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) students of one or more scheduled colleges or National Homoeopathic Medical College shall be transferred from one college to another or absorbed in any other such college;

(*d*) teachers or other employees of any scheduled college or National Homoeopathic Medical College shall be transferred from one college to another;

(*e*) any post of teachers or other employees of any scheduled college or National Homoeopathic Medical College shall be transferred from one college to another;"

(*c*) *after* sub section (2), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(3) The *inter se* seniority of each category of employees other than teachers of the colleges combined or amalgamated under clause (*b*) or clause (*bb*) of sub-section (2) shall be determined from the date of their substantive appointment in their respective cadre. If the date of substantive appointment of two or more such employees is the same, the employee senior in age shall be senior.

(4) It shall be lawful for the State Government to abolish, leave unfilled, or hold in abeyance, any vacant post of teachers or other employees of any scheduled college or National Homoeopathic Medical College or colleges combined or amalgamated under clause (b) or clause (*bb*) of sub-section (2) and no person shall be entitled to claim any appointment in such post."

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 6 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 has been enacted to provide for acquisition and management of certain Non-Government Homoeopathic Medical Colleges and to provincialise the education in the medical science of homoeopathy. By the said Act nine Homoeopathic Medical Colleges specified in the Schedule to the Act, were transferred to and vested in the State Government. The National Homoeopathic Medical College was already owned

by the State Government. Some of the said nine Medical Colleges did not fulfil the standards prescribed by the Central Council of Homoeopathy and the State Government owing to financial constraints, was not in a position to make grants to such colleges for enabling them to fulfil the standards prescribed by the Central Council of Homoeopathy. It was, therefore, decided to amend the said Act mainly to empower the State Government to combine or amalgamate one or more of the scheduled colleges and the National Homoeopathic Medical College, as also to provide for the transfer of the students, teachers or other employees and the posts of teachers or of other employees from a scheduled college to another scheduled college or the National Homoeopathic Medical College and *vice-versa*.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision. The Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no. 4 of 2001) was promulgated by the Governor on February 15, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 299 सा० विधा० - (7441)—2001—850 (मेक०)।